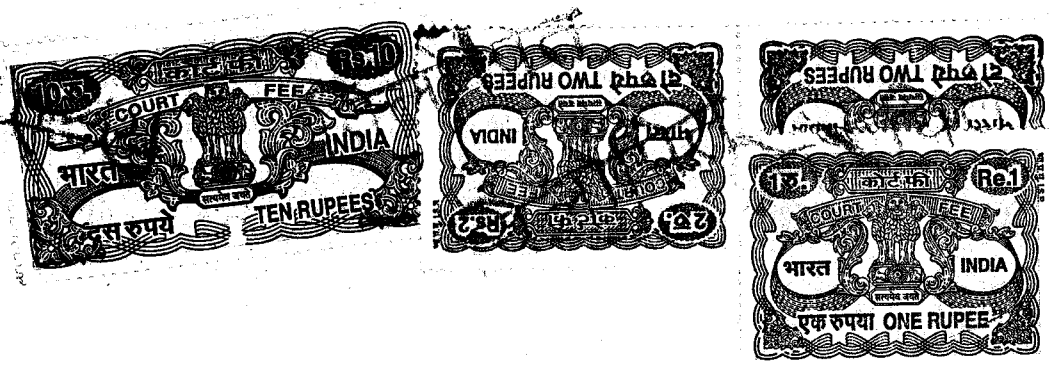

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण R 3057-III/14

श्रीमती रामबाई पत्नी श्री बाबूलाल शिवहरे आयु– 60 साल निवासी– ग्राम पहाड़ी खेरा, तहसील व जिला पन्ना --- आवेदिका

बनाम

म0प्र0 शासन --- अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 25/6/2005 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय पन्ना नामान्तरण पंजी क्रमांक 6 को एकपक्षीय रूप से निरस्त किया गया।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 570/2 रकवा 1.05 हैक्टर लगानी 5 रूपये स्थित ग्राम पहाड़ीखेड़ा तहसील व जिला पन्ना पर आवेदिका का लम्बे अरसे से बिना रोक–टोक आधिपत्य चला आ रहा है, जिसे तात्कालीन तहसीलदार महोदय पन्ना द्वारा दिनांक 27/10/1993 को राजस्व प्रकरण क्रमांक अ–19/1993–94 के द्वारा ग्राम पहाड़ी खेडा तहसील व जिला पन्ना का भूमि स्वामी के अधिकारो की

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

करण कमांक निगरानी 3057–तीन/ 14 जिला– पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 .11.15	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित । उनके द्वारा निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । 2– आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पन्ना के नामांतरण पंजी कमांक–6 में पारित आदेश दिनांक 25.6.2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग 10 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है । निगरानी आवेदन पत्र के साथ धारा–5 का आवेदन भी नहीं लगाया गया है । 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक अ–19/93–94 में पारित आदेश दिनांक 27.10.93 द्वारा ग्राम पहाड़ी तहसील व जिला पन्ना भूमिस्वामी के अधिकारों की मंजूरी के लिये पटट्ा प्रदाय किया गया था। जिसके पालन में आवेदिका का राजस्व	

अभिलेख में इन्द्राज किया गया है । वर्तमान में उक्त आराजी पर बतौर भूमिस्वामी कब्जा चला आ रहा है । आवेदिका के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि दिनांक 25.8.14 को हल्का पटवारी द्वारा जानकारी दी गयी कि तहसीलदार द्वारा आपको जारी किया गया पट्टा निरस्त किया गया है । जानकारी होने के पश्चात आवेदिका तहसील गई और दिनांक 27.8.14 को नकल प्राप्त कर अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की ।

4- मेरे द्वारा निगरानी मेमों के साथ संलग्न नामान्तरण पंजी ग्राम पहाड़ीखेरा वर्ष 2004-05 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया उसमें पटवारी द्वारा टीप अंकित की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा ग्राम पहाड़ी खेरा में जो पट्टे आवंटित किये गये है वह दायरा पंजी में पृविष्टि अवैध पायी गई थी । इस कारण आवेदिका का पट्टा निरस्त किया गया है । आवेदिका का पट्टा अवैध होने से तथा प्रकरण 10 वर्ष पश्चात प्रस्तुत करने से परिणमतः निगरानी अवधि वाह्य होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

सदस्य